HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 948/2026

Deepak @ Deepu S/o Hanuman, Aged About 22 Years, R/o Kushtala, Police Station Rawanjana Dunger, District Sawai Madhopur. (Presently Confined In District Jail Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajveer Singh Jhala with Ms. Poonam Shekhawat for Mr. Rajendra Singh Tanwar
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP with Mr. Shubham Sain, AAAG Mr. Ashish Bairwa with Mr. Dharmraj Bairwa

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना रवांजना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 121(1), 132, 352, 324(3), 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(वीए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश की पालना में प्रकरण के अनुसंधानकर्ता श्री हंसराज वैरवा, वृत्ताधिकारी ग्रामीण, सवाई माधोपुर आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अनुसंधानकर्ता को भविष्य में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में परिवादी व

आहत पुलिसकर्मी ही हैं तथा उन्हें जो चोटें कारित हुई हैं, उक्त चोटें के गंभीर एवं प्राणघातक होने की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर आहत को बेसबॉल के डंडे से मारने का आक्षेप है। उनका तर्क है कि प्रकरण में संलिप्त चार व्यक्तियों में से केवल एक को ही गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 03.01.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अत : प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही प्रार्थी–अभियुक्त पर आहत के सिर में चोट कारित करने के स्पष्ट आक्षेप हैं। उनका तर्क है कि घटना की दिनांक 31.12.2025 से पहले भी प्रार्थी–अभियुक्त और सहअभियुक्त को दिनांक 05.11.2025 को धारा 126 व 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रावधानों के अंतर्गत शांति बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया था, उसके उपरांत भी उन्होंने पुलिसकर्मी, जो कि अपनी ड्यूटी पर था, के साथ मारपीट कर उक्त घटना कारित की गई है। उनका तर्क है कि आहत देशराज के Parietal region पर चोट आई है, जिसकी वजह से सिर में सिला हुआ घाव है और उसमें टांके भी लगे हैं। उनका तर्क है कि अभी आहत को कारित चोटें के संबंध में डॉक्टर की अंतिम राय मांगे जाने के उपरांत भी प्राप्त नहीं हुई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने शराब पीकर पुलिसकर्मी के साथ उक्त घटना कारित की है। प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध धारा 121(1), 132, 352, 324(3), 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(वीए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) के गम्भीर अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसके द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत पुलिसकर्मी देशराज के सिर में बेसबॉल के डंडे से मारपीट की गई है, जिस वजह से आहत के कुल छह चोटें कारित हुई हैं, जिनमें से एक चोट सिर के Parietal region पर भी आई है और उस घाव पर टांके आना भी चोट प्रतिवेदन से

प्रकट होता है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि आहत की चोटों के संबंध में डॉक्टर की राय अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। इसके साथ ही प्रार्थी–अभियुक्त को पूर्व में दिनांक 05.11.2025 को भी शांति भंग करने और पुलिसकर्मी के सामने अन्य व्यक्ति (कुन्जीलाल) को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में धारा 126 व 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पाबंद भी किया गया था। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र को इस प्रक्रम पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /28